"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अगस्त 2016— श्रावण 26, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2016

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/आठ-परि./2016. — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, "कम्बाईण्ड हार्वेस्टर वाहन" को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, जो इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा.

No. F 5-5/viii-Trans./2016. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 read with sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Motor Vehicles Taxation Act, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts "Combined Harvester Vehicle" from payment of tax leviable under the said Act with effect from the date of issuance of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.**



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.